INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP02055588620685V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP02055588620685V
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 06:10 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14338504/ BAREILLY SADAR/ UP-BLY
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1433850499688161252231V
Purchased by	:	SHRI SWAMI VIVEKANAND JI SHIKSHA SAMITI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI SWAMI VIVEKANAND JI SHIKSHA SAMITI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHRI SWAMI VIVEKANAND JI SHIKSHA SAMITI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

SUNIL KESHWANI BAREILLY SADAR ACC Code - UP-BLY

Please write or type below this line

NOTARY NOTARIAL NOTARIAL GOVERNMENT

प्रबन्धक
श्री स्वामी विवेकानन्द जी शिक्षा समिति
पुवायाँ (शाहजहाँपुर)

अध्यक्ष
श्री स्वामी विवेकानन्द जी शिक्षा समिति
पुवायाँ शाहजहाँपुर

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

NOTARY

(प्रारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम **Mr. Sanjay Gupta** एवं **Mr. Surjan lal** क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव **Shri Swami Vivekanand ji Shiksha Samiti, Moh.Hardayalpur Kucha,Powayan,Distt.Shajahanpur-242401** शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा **Shri Siddhi Vinayak College of Pharmacy, Mahua Pathak, Powayan, Distt. Shajahanpur** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

प्रबन्धक
श्री स्वामी विवेकानन्द जी शिक्षा समिति
पुवायाँ (शाहजहाँपुर)

अध्यक्ष
श्री स्वामी विवेकानन्द [illegible]
पुवायाँ शाहजहाँपुर

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम में गाटा संख्या **301** रकबा **1.295** हैक्टेयर (कुल रकबा **<u>1.295</u>** हैक्टेयर) भूमि है ।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या **301** एवं रकबा **1.295** हैक्टेयर (कुल रकबा **<u>1.295</u>** हैक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक **<u>05/02/2020</u>** द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

प्रबन्धक

13. मैं घोषणा करता/ करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

अध्यक्ष

श्री स्वामी विवेकानन्द जी शिक्षा समिति

पुवायाँ शाहजहाँपुर

NOTARY

SUBODH KUMAR

SUBODH KUMAR

Advocate & Notary

30/11/2023